उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानाराम, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या **114 / 2022** अन्तर्गत धारा **131, 136** RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
ठाकरसिंह पुत्र नगसिंह जाति राजपुत, निवासी स्वरूपनगर तहसील शिव, जिला बाडमेर		1 तहसीलदार शिव 2 उतमसिंह पुत्र नगसिंह 3 गोपालसिंह पुत्र जवारसिंह 4 गोपीदेवी पत्नी गोपालसिंह 5 जालमसिंह पुत्र अलससिंह 6 झबरसिंह पुत्र अलससिंह 7 बाबूसिंह पुत्र अलससिंह 8 रामकंवर पत्नी अलसिंह 9 लखसिंह पुत्र आम्बसिंह 10 विजयसिंह पुत्र अलससिंह 11 समधाकंवर पत्नी अलससिंह 12 हरकंवर पुत्री अलससिंह जाति राजपुत, निवासी धारवीकला तहसील शिव, जिला बाड़मेर 13 जेठाराम पुत्र वगताराम जाति मेघवाल, निवासी धारवीकला तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 03.02.2025

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की आवंटित शुदा खातेदारी का खेत मौजा स्वरूपनगर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 558/372 रकबा 6.4750 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि के सेढासेढ दक्षिण पश्चिम में खसरा नम्बर 560/372, दक्षिण की तरफ खसरा नम्बर 567/372 तथा खसरा नम्बर 556/372 की भूमि आयी हुई है। प्रार्थी को उक्त भूमि आवंटित हुई है तथा प्रार्थी वक्त आवंटन से ही भौतिक रूप से अपने कब्जा काश्त में काबिज है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा एवं प्रार्थी के मौके पर कब्जा काश्त में भारी भिन्नता है, जिससे मौके पर कब्जा काश्त को लेकर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना हुआ है तथा विप्रार्थीगण प्रार्थी को उनके कब्जा काश्त से बेदखल करने पर आमादा है। साथ ही वर्तमान रेकर्ड के बारे में हल्का पटवारी से जानकारी प्राप्त करने पर माननीय न्यायालय में तरमीम दुरस्ती का आवेदन पेश कर तरमीम दुरस्त करवाने की जानकारी दी गई। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन प्रार्थी की आवंटन शुदा भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त करवाकर प्रार्थी के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार एवं वक्त आवंटन के कब्जा अनुसार तरमीम दुरस्त करवाये जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर मौतबिरान के रूबरू जांच की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी मौके पर 6.4750 हैक्टेयर में काबिज है। सरहद

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

जा खोड़ाल व मूल ग्राम धारवीखुर्द की सीमा पर स्थित नेखम संख्या 39 व नेखम संख्या 43(त्रिपाटा) के आधार पर मौका स्थिति का नक्शा तैयार किया गया है, परन्तु तहसीलदार शिव द्वारा उक्तानुसार तरमीम दुरस्त करने बाबत् अनुशंषा नहीं की गई है। विप्रार्थीगण बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी मौजा स्वरूपनगर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 558/372 के राजस्व रेकर्ड के वर्तमान लट्ठा नक्शा में दर्ज तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी मौजा स्वरूपनगर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 558/372 के राजस्व रेकर्ड के वर्तमान लट्ठा नक्शा में दर्ज तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी मौके पर 6.4750 हैक्टेयर में काबिज है। सरहद मौजा खोड़ाल व मूल ग्राम धारवीखुर्द की सीमा पर स्थित नेखम संख्या 39 व नेखम संख्या 43(त्रिपाटा) के आधार पर मौका स्थिति का नक्शा तैयार किया गया है, परन्तु तहसीलदार शिव द्वारा उक्तानुसार तरमीम दुरस्त करने बाबत् अनुशंषा नहीं की गई है। साथ ही मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त तरमीम दुरस्ती से खसरा नम्बर 558/372 के साथ अन्य समस्त पड़ौसी खसरा नम्बर क्रमशः 565/372, 560/372, 567/372, 372, 556/372 व अन्य खसरा नम्बर के खातेदारान् प्रभावित होंगे, जिससे मौके पर ओर अधिक विवाद व तनाव की स्थिति पैदा होगी। साथ ही प्रार्थी द्वारा वक्त आंवटन के समय की तरमीम का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे सिद्ध हो सके की प्रार्थी का वर्तमान कब्जा एवं वक्त आवंटन कब्जा एक समान है तथा तरमीम गलत हो। अतः उक्त स्थिति में मौका रिपोर्ट अनुकुल नहीं होने तथा दस्तावेज के अभाव में उक्त आवेदन को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन मनगढत एंव सारहीन तथ्यों पर आधारित पेश होने तथा न्यायिक दृष्टिकोण से तरमीम दुरस्ती किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner